न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
18 / 2025	07.01.2025	04.03.2025

उनवान

1. मोहम्मद सद्दीक पुत्र अब्दुल रहीम मुसलमान (मंसूरी) निवासी पुराने पी0एन0बी0 बैंक के सामने, नेहरू रोड भीलवाडा

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

—— विपक्षी

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री श्रवण कुमार सेन
2. विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

–ः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधन कराये जाने ः–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की शामलाती खातेदारी अधिकार, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात वाके ग्राम हलेड प0ह0 हलेड तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है आराजी नम्बर 2201 रकबा 1.0425 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2203 रकबा 0.9479 हैक्टेयर भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 1.9979 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 2201 रकबा 1.0495 हैक्टेयर (04 बीघा 03 बिस्वा) आराजी नम्बर 2203 रकबा 0.9484 हैक्टेयर (03 बीघा 15 बिस्वा) कुल किता 02 कुल रकबा 1.9979 हैक्टेयर (07 बीघा 18 बिस्वा) भूमि खातेदार कन्हैयालाल, प्रहलाद पुत्र रामरतन आचारज ब्राह्मण निवासी हलेड़ से अब्दुल मजीद, मोहम्मद सद्दीक, अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल रहीम, रहमत बाई पत्नि अब्दुल रहीम मुसलमान ने शामलाती में जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.01.76 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया, तभी से उक्त वर्णित भूमि पर क्रेतागण काबिज हुए, किन्तु विक्रय पत्र में सहवन, गलती, भूल वश एवं लिपीकिय त्रुटि वश विक्रय पत्र में क्रेता रहमत बाई पत्नि अब्दुल रहीम लिखा जाने के बजाय रहमत वल्द अब्दुल रहीम अंकित हो गया है जिससे विक्रय पत्र के आधार पर, विक्रय पत्र में अंकित नाम के अनुसार नामान्तकरण हुआ जिससे राजस्व रेकॉर्ड में भी रहमत वल्द अब्दुल रहीम दर्ज हो गया है, जबकि क्रेता रहमत बाई, अब्दुल रहीम का पुत्र न होकर अब्दूल रहीम की पत्नि है। दस्तावेज के अनुसार सही एवं वास्वविक नाम रहमत बाई पत्नि अब्दुल रहीम ही है, जिनकी मृत्यु होने पर दस्तावेज के अनुसार रहमत बाई पत्नि अब्दुल रहीम के नाम से ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी है, किन्तु मृत्यु प्रमाण पत्र एवं जमाबन्दी में दर्ज नाम में भिन्नता होनें से विरासत का नामान्तकरण नहीं खुल पा रहा है इसलिए राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नाम रहमत पुत्र अब्दुल रहीम के बजाय रहमत बाई पत्नि अब्दुल रहीम संशोधित किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी की माता का सही एवं वास्तविक नाम रहमत बाई पत्नि अब्दुल रहीम मुसलमान है किन्तु उक्त वर्णित भूमि जब क्रय की उस समय सहवन व गलती से माता का नाम रहमत बाई पत्नि अब्दुल रहीम लिखा जाने के बजाय रहमत वल्द अब्दुल रहीम अंकित हो गया था जिससे राजस्व रेकॉर्ड में भी माता का रहमत पुत्र अब्दुल रहीम ही चला रहा है, जबकि रहमत बाई, अब्दुल रहीम की पत्नि है, जो कि वास्तविक एवं सही नाम है, किन्तु राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नाम एवं दस्तावेज में दर्ज नाम में भिन्नता होने से मृतक रहमत बाई की विरासत का नामान्तकरण खोला जाने हेतु पटवारी हल्का ने मना कर दिया व राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरस्थ कराने की हिदायत दिनांक 05.12.2024 को दी गई, जिससे राजस्व रेकॉर्ड में नाम संशोधन किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम हलेड़ प०ह० हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2201 रकबा 1.0495 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2203 रकबा 0.9484 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.9979 हैक्टेयर भूमि के मृतक खातेदार रहमत पुत्र अब्दुल रहीम मुसलमान (मंसूरी) के बजाय रहमत पत्नि अब्दुल रहीम मुसलमान (मंसूरी) संशोधित कराया जाकर विरासत से प्रार्थी एवं मृतक के पुत्र अब्दुल मजीद, अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल रहीम मुसलमान (मंसूरी) के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 224 दिनांक 03.02.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार मौके पर उपस्थित वादी अब्दुल गफ्फार, वादी का पुत्र असलम पिता अब्दुल गफ्फार पडौसियान नाथुलाल पिता नगजीराम कोली, सेवाराम पिता मांगीलाल खटीक उपस्थित मिले मौतबिरान और वादी से पूछताछ की तो जाहिर आया कि अब्दुल रहीम पिता अब्दुल कलीम की धर्मपत्नी का नाम रहमत बाई था और इनके 03 पुत्र (1) अब्दुल मजीद (2) मौहम्मद सद्दीक (3) अब्दुल गफ्फार है। इनका पुश्तैनी मकान इसी कोली मौहल्ले में स्थित है। जहॉ ये परिवार निवास करता है। बीच में कुछ समय के लिये नेहरू रोड पर मौहम्मद सद्दीक एक नया मकान खरीदकर रहने चले गये थे वह मकान भी वापस मौहम्मद सदीक ने बेचान कर दिया है और वापस अपने पुश्तैनी मकान में रहने लग गये है। हम पडौसीगण इन्हे व्यक्तिगत रूप से जानते है। इन्होने रहमत बाई उर्फ रहमत की वल्दियत पत्नी अब्दुल रहीम होने की ताईद की है। इन्होने बताया की इनकी ग्राम हलेड में कृषि भूमि स्थित है। जो लगभग 02 बीघा है। जब वाद में वर्णित खसरा नम्बर नम्बर 2201, 2203, कुल किता 02 ग्राम हलेड के काश्तकारान का नाम मौके पर पढकर सुनाया तो पडौसियान और वादी ने बताया कि रहमत पुत्र अब्दुल रहीम का अंकित नाम गलत है जबकि सही नाम रहमत पत्नी अब्दुल रहीम होकर अब्दुल रहीम की पत्नी है। जिन्हे मौहल्ले में हम सभी रहमत बाई कहते थे। आज से लगभग 12–13 वर्ष पूर्व 2011 में में इनकी मृत्यु होना जानकारी में आया। इनको रहमत बाई उर्फ रहमत पत्नी अब्दुल रहीम ही सही होने की पुष्टि मौतबिरान द्वारा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती का अध्ययन किया गया। राजस्व रेकार्ड का परीक्षण किया गया। विक्रय पत्र तस्दीक दिनांक 31.01.76 क्र0सं0 161 में दर्ज क्रेतागण में श्री रहमत वल्द अब्दुल रहीम निवासी भीलवाडा मन्सूरी कौम दर्ज है जो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम हलेड के वर्तमान खाता संख्या 11 के खसरा संख्या 2201 रकबा 1.0495 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2203 रकबा 0.9484 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.9979 में भी ज्यो का त्यों रहमत पुत्र अब्दुल रहीम हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान चला आ रहा है जबकि मौका रिपोर्ट/तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार उक्त रहमत अब्दुल रहीम का पुत्र नहीं होकर अब्दुल रहीम की पत्नी थी जो मौका जॉच वक्त उपस्थित मौतबिरान ने बताया व प्रार्थी व उनके पुत्रों जो विक्रय पत्र में अन्य क्रेतागण है मोहम्मद सद्दीक व श्री अब्दुल गफ्फार ने बताया कि रहमत हमारी माताजी थी जिनका स्वर्गवास दिनांक 25.10.2011 को हो चुका है व मृत्यु प्रमाण पत्र में भी रहमत बाई पत्नी अब्दुल रहीम की पत्नी थी। तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतःएव्

—:आदेश :—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर ग्राम हलेड प0ह0 हलेड तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है आराजी नम्बर 2201 रकबा 1.0425 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2203 रकबा 0.9479 हैक्टेयर भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 1.9979 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रहमत पुत्र अब्दुल रहीम मुसलमान (मंसूरी) के बजाय रहमत पत्नी अब्दुल रहीम मुसलमान (मंसूरी) संशोधित किया जाकर विरासत से प्रार्थी एवं मृतक के विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 04-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा